पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/ 70(आ०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
(अररिया, जमुई, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, पूर्णियाँ, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली को छोड़कर)

पटना, दिनांक 03/03/2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश 31(स्वी०) दिनांक 19.02.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **31(स्वी०) दिनांक 19.02.2020** द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के परिपत्र द्वारा स्वीकृत वर्द्धित दर के अनुरूप निर्गत विभागीय परिपत्र के आलोक में अनुमान्य अंतर राशि कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र की राशि को निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।	₹71,324.00 (इकहत्तर हजार तीन सौ चौबीस रूपये मात्र)।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद।	₹77,831.00 (सतहत्तर हजार आठ सौ इक्कतीस रूपये मात्र)।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका।	₹74,810.00 (चौहत्तर हजार आठ सौ दस रूपये मात्र)।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर।	₹73,350.00 (तिहत्तर हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र)।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर।	₹59,498.00 (उनसठ हजार चार सौ अन्ठानवे रूपये मात्र)।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	₹1,54,231.00 (एक लाख चौवन हजार दो सौ इक्कतीस रूपये मात्र)।
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज।	₹60,827.00 (साठ हजार आठ सौ सत्ताइस रूपये मात्र)।
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।	₹94,719.00 (चौरानवे हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र)।
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर।	₹87,830.00 (सतासी हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र)।
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।	₹70,000.00 (सत्तर हजार रूपये मात्र)।
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया।	₹43,984.00 (तैतालीस हजार नौ सौ चौरासी रूपये मात्र)।
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	₹1,66,705.00 (एक लाख छयासठ हजार सात सौ पाँच रूपये मात्र)।
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	₹84,215.00 (चौरासी हजार दो सौ पन्द्रह रूपये मात्र)।
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	₹2,25,000.00 (दो लाख पचीस हजार रूपये मात्र)।
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।	₹4,692.00 (चार हजार छः सौ बेरानवे रूपये मात्र)।
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।	₹1,55,418.00 (एक लाख पचपन हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र)।
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण।	₹1,47,485.00 (एक लाख सैतालीस हजार चार सौ पचासी रूपये मात्र)।
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा।	₹69,719.00 (उनहत्तर हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र)।
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल।	₹22,537.00 (बाईस हजार पाँच सौ सैतीस रूपये मात्र)।
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।	₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये मात्र)।
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय।	₹50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र)
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर।	₹85,527.00 (पचासी हजार पाँच सौ सत्ताईस रूपये मात्र)
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभगा।	₹51,523.00 (इक्यावन हजार पाँच सौ तेईस रूपये मात्र)
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा।	₹1,51,786.00 (एक लाख इक्यावन हजार सात सौ छियासी रूपये मात्र)।
कुल:–		₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

लगातार......

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में उपर्युक्त विवरणी के अनुरूप **कुल ₹22,83,011.00 (बाईस लाख तेरासी हजार ग्यारह रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0102.28.02–संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010102) को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि०17 अप्रैल 1998,256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019,6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
03/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/70(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/03/2020

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया, जमुई, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, पूर्णियाँ, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली को छोड़कर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा -03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/70(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 03/03/2020

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/03/2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\...2515000010102\Letter.docx

8.14